हरियाणा सरकार

वास्तुकला विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 जुलाई, 2015

संख्या सा0 का0 नि0 41/संवि0/अनु0 309/2014.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा वास्तुकला विभाग (वर्ग–ग) सेवा नियम, 1990, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा वास्तुकला विभाग (वर्ग–ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2015, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा वास्तुकलां विभाग (वर्ग–ग) सेवा नियम, 1990 में, परिशिष्ट ख में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 4 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

1	2	3	4
"4	चालक	**सीधी भर्ती द्वारा –** (i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ;	**पदोन्नति द्वारा –** (i) मैट्रिक ; (ii) डुप्लीकेटिंग मशीन आप्रेटर, रस्टोरर या ग्रुप–घ कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; (iii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iv) विभाग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (vi) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ; (vii) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए ; **स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा –** (i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iii) हल्का वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; (iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (vi) यदि चालक के पद पर पहले से कार्यरत नहीं है, तो पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए ;" ।

हरदीप कुमार,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वास्तुकला विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ARCHITECTURE DEPARTMENT

Notification

The 20th July, 2015

No. GSR 41/Const.Art.309/2014.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Architecture Department (Group C) Rules, 1990, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Architecture Department (Group C) Service (Amendment) Rules, 2015.

2. In the Haryana Architecture Department (Group C) Rules, 1990, in Appendix B, under columns 1,2,3 and 4, for serial number 4, and the entries against there, the following serial number and entries against there shall be substituted, namely :-

1	2	3	4
"4	Driver	**By Direct:-** (i) Matric; (ii) Should have a light vehicle valid driving license, at least three years old; (iii) Should have passed the driving test conducted by the Haryana Staff Selection Commission; (iv) Should not be colour blind; (v) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education.	**By Promotion:-** (i) Matric; (ii) Three years experience as Duplicating Machine Operator, Restorer or as Group D employee; (iii) Should have a light vehicle valid driving licence at least three years old; (iv) Should have passed the driving test conducted by the department; (v) Should not be colour blind; (vi) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (vii) Should not be more than fifty years age; **By transfer/deputation** (i) Matric; (ii) Should have a light vehicle valid driving license, at least three years old; (iii) Three years experience as a light vehicle driving; (iv) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (v) Should not be colour blind; (vi) If not already working on the post of driver then should not be more than fifty years of age."

HARDEEP KUMAR,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Architecture Department.